मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977
9 अक्टूबर, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

77.

विषय :- परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- इस विभाग का दिनांक 9 दिसम्बर 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1।

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ परिवीक्षा पर की जाएँ एवं उनका वेतन-निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय । इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अतः परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किया जाता है :-

(1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा-काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए । परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षा-काल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकलना चाहिए । यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके । भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा । इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलता पूर्वक परिवीक्षा-काल पूर्ण करलेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो । अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें

क्रमशः ------- 2.

परिवीक्षा-काल में रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतन - वृद्धियाँ मिलती रहें ।

(2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा-काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम के अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है । जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठता-क्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियाँ की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठता-क्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए । जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे ।

(3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा-काल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण - दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षा-काल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है । यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा-काल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवायें उक्त-नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए ।

(4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित व्यक्ति की सेवायें समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (7) का प्रावधान लागू होगा । यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षा-काल सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया हो । इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन-निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा-काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा ।

क्रमशः ---------- 3.

2/ सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीनस्थ सेवकों में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार शीघ्र निपटायें जायें। जहाँ तक सम्भव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षा-काल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षा-काल समाप्त होने की तिथि तक लिया जा सके ।

3/ जहाँ तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उप-नियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन वृद्धियाँ देने के निर्णय का सम्बन्ध है, यह आदेश वित्त-विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है ।

(हस्ताक्षर)
(जी०दी०शर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ०क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977.
9 ज्येष्ठ, 1899.

प्रतिलिपि :-

1 - रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल

---

2 - राज्यपाल के सचिव / सैनिक सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्य प्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

---

3 - महालेखापाल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
उप सचिव

शुक्ला/
शर्मा/-
30-5